

# न्यायालय, समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया ।

आदेश-पत्रक

(देखें अगिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता०..... सो.....

जिला- खगड़िया..... सा०....., रा०.....

केस का प्रकार-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-/55/2017 राज्य बनाम 111127/2017

आदेश की क्रम  
सं० और तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
02.

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे  
टिप्पणी  
तारीख-सहित  
3.

06.01.2018

बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत मानसी थाना में दर्ज कांड संख्या-188/2016, दिनांक 02.10.2016, में 180 एम0एल0 का 16 बोतल, 375 एम0एल0 का 08 बोतल एवं 180 एम0एल0 का 12 बोतल एवं 180 एम0एल0 का व्हाइट गिसरहीफ का 10 बोतल जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के झापांक 12/डि०शा०, दिनांक 04.01.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, मानसी का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 180 एम0एल0का 6 बोतल, 375 एम0एल0 का 03 बोतल, 180 एम0एल0 का 06 बोतल एवं 180 एम0एल0 गिसरथीफ का 06 बोतल विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार, पटना को भेजा गया है। 180 एम0एल0 का 01 बोतल, 375 एम0एल0 का 01 बोतल, 180 एम0एल0 का 01 बोतल एवं 180एमएल0. का 01 बोतल विदेशी शराब पदर्श के रूप में रखा गया है, तथा शेष 180 एम0एल0 का 09 बोतल, 375 एम0एल0 का 04 बोतल, 180 एम0एल0 का 05 बोतल एवं 180 एम0एल0 का व्हाइट गिसरथीफ का 03 बोतल विदेशी शराब थाना मानसी के मालखाना में रखा गया है।

पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।

अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानसी थाने के मालखाना में रखी गई कुल-4.560 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना मानसी कांड संख्या- 188/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल-4.560 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, मानसी /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनाार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

आदेश की  
क्रम सं० और  
तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
02.

आदेश पर की  
गई कार्रवाई  
के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहित  
3.

डी० बी० नं०.....19...../विधि, दिनांक. 13/01/2018  
प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थाना... मानसी  
/उत्पाद, अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:-जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया  
को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाइट पर अपलोड  
करने की कृपा की जाय।

प्रभाषी पदाधिकारी  
जिला न्याय शाला,  
खगड़िया।  
13/01/18  
14/1/18